माननीय राज्य मंत्री, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों के साथ नागर विमानन से संबंधित मामलों पर दिनांक 19.8.2019 को 1530 बजे वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से की गई चर्चा का रिकार्ड।

माननीय राज्य मंत्री**,** नागर विमानन मंत्रालय द्वारा राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों के साथ नागर विमानन से संबंधित मामलों पर दिनांक 19.8.2019 को 1530 बजे वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से चर्चा की गई थी।

बैठक में भाग लेने वाले नागर विमानन मंत्रालय, नागर विमानन सुरक्षा ब्यूरो, नागर विमानन महानिदेशालय, राज्य सरकारों, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण, एवं एअर इंडिया के वरिष्ठ अधिकारियों की सूची **अनुलग्नक - 1** में दी गई है।

बैठक के प्रारम्भ में माननीय राज्य मंत्री, नागर विमानन द्वारा वीडियो कांफ्रेसिंग के लिए उपस्थित सभी प्रतिभागियों का स्वागत किया गया और यह बताया कि यह वीडियो कांफ्रेसिंग देश के विभिन्न भागों में विमान सम्पर्कता में संवर्धन से संबंधित नागर विमानन मामलों पर राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों से सुझाव प्राप्त करने, उन्हें सूचनाएं देने और उनके द्वारा अनुभव की जा रही चुनौतियों पर चर्चा के लिए आयोजित की गई है।

लक्षद्वीप एवं त्रिपुरा के प्रतिनिधि वीडियो कांफ्रेसिंग के लिए उपस्थित नहीं हुए थे।

राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों के प्रतिनिधियों के साथ की गई चर्चा तथा उनके संबंध में लिए गए निर्णयों का रिकार्ड नीचे प्रस्तुत किया गया है:

अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन :

1. कैम्पबेल बे में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा :

कैम्पबेल बे में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा रणनीतिक स्थल पर स्थित है। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधि ने यह सूचित किया कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का सर्वेक्षण दल स्थल पर भेजा रहा है। माननीय राज्य मंत्री, नागर विमानन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्राथमिकता के आधार पर सर्वेक्षण किए जाने का निदेश दिया गया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टिप्पणी (योजना निदेशालय):

ओएलएस सर्वेक्षण के लिए निविदा कार्रवाई पहले ही पूरी की जा चुकी है; प्रशासनिक कारणों से कार्य अवार्ड अभी जारी नहीं किया गया है। कार्य को जारी रखने के संबंध में दिनांक 2.8.2019 को निदेश प्राप्त हुए हैं। निविदा की वैधता विस्तारित की जा रही है जिसके लिए एल-1 बोलीदाता से अनुरोध किया गया है। कार्य पूरा किए जाने की अवधि कार्य अवार्ड जारी किए जाने की तिथि से 3 माह है।

2. पोर्ट ब्लेयर में नया ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा:

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को परामर्श प्रभार के रूप में 64.00 लाख रूपए की राशि का भुगतान चुकता किए जाने की जानकारी भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा दी गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा स्थल का निर्धारण किए जाने तथा एक स्थल उपयुक्त होने और उसके लिए 5000 एकड़ भूमि की अपेक्षा होने, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के सर्वेक्षण दल द्वारा प्रारंभिक सर्वेक्षण किए जाने तथा भा.वि.प्रा. के विजिटिंग टीम द्वारा व्यय का मूल्यांकन किए जाने की जानकारी दी गई। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के प्रतिनिधियों द्वारा अनुमानों सहित अपना सर्वेक्षण नवम्बर, 2019 में प्रस्तुत करने का आश्वासन दिया गया।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को अनुमानों के साथ निश्चित रूप से अपनी रिपोर्ट नवम्बर, 2019 में प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टिप्पणियां (योजना निदेशालय):

परामर्शदाता की नियुक्ति के लिए ई-बोली आमंत्रित की गई है। वित्त बोली सीपीपी पोर्ट (etenders.gov.in) पर दिनांक 30.9.2019 को खोली जाएगी।

3. विद्यमान हेलीकॉप्टर बेड़े का आधुनिकीकरण:

अंडमान एवं निकोबार प्रशासन द्वारा पवन हंस लिमिटेड के 4 डॉफिन एन हेलीकॉप्टर पहले से ही तैनात होने की जानकारी दी गई और यह बताया कि इन हेलीकॉप्टरों का लोड कम होने के कारण अंतरिम व्यवस्था के तौर पर उन्होंने एक एन3 हैवी लिफ्ट हेलीकॉप्टर तथा तीन मध्यम लिफ्ट हेलीकॉप्टरों की तैनाती के लिए अनुरोध प्रस्तुत किया है।

पवन हंस लिमिटेड के प्रतिनिधियों ने यह सूचित किया कि मैसर्स पवन हंस लिमिटेड द्वारा एन3 हेलीकॉप्टर के लिए प्रस्तुत की गई दरें तुलनात्मक रूप से निजी हेलीकॉप्टरों से कम हैं।

मुख्य सचिव ने यह बताया कि इससे प्रतिवर्ष 70.00 से 100.00 करोड़ रूपए का व्यय होगा जिसके लिए प्रशासन को बाह्य स्रोतों से दीर्घकालिक आधार पर पट्टा प्राप्त करने के विकल्प, यदि प्रस्ताव अच्छे प्राप्त होते हैं, की अनुमति प्रदान की जानी चाहिए। उप-राज्यपाल द्वारा भी विद्यमान क्षमता पर्याप्त न होने तथा तदनुसार इस मामले की विद्यमान नीति की समीक्षा किए जाने का अनुरोध किया गया।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री द्वारा नागर विमानन मंत्रालय एवं मैसर्स पवन हंस लिमिटेड को नीति की समीक्षा किए जाने तथा द्वीपसमूह राज्यों की आवश्यकताओं के अनुरूप आधुनिकीकरण के विकल्पों का अंवेषण करने के लिए कहा गया। पवन हंस लिमिटेड के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को अंडमान एवं निकोबार द्वीपसमूह प्रशासन की वर्तमान आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए तत्काल कार्रवाई करने का निदेश दिया गया।

4. पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डे के रनवे का सतहीकरण:

पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डे का स्वामित्व भारतीय नौसेना को प्राप्त है। तदनुसार रनवे के सतहीकरण के कार्य भारतीय नौसेना द्वारा किए जाने हैं। सचिव, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को भारतीय नौसेना के साथ इस संबंध में चर्चा करने तथा पोर्ट ब्लेयर हवाईअड्डे पर उड़ानों में होने वाले अवरोधों को दूर करने के लिए हैंड हैंडलिंग सहित भारतीय नौसेना की तकनीकी कठिनाईयों को ज्ञात करने और इस मामले को सुलझाने का निदेश दिया गया।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टिप्पणी (योजना निदेशालय):

इस मामले पर विचार विमर्श के लिए नौसेना के साथ बैठक के आयोजन की व्यवस्था की जा रही है।

5. पोर्ट ब्लेयर के लिए अंतर्राष्ट्रीय विमान सम्पर्कता:

पोर्ट ब्लेयर स्थित वीर सावरकर अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा वर्ष 2007 में अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा घोषित किया गया था तथा यहां अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों के प्रचालन के लिए रात्रि अवतरण सहित अवसंरचनाओं के रूप में सभी अपेक्षित सुविधाएं उपलब्ध हैं। तथापि, इन सुविधाओं के बावजूद भी पोर्ट ब्लेयर से अभी अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा प्रचालन प्रारम्भ नहीं हुए हैं।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री द्वारा सचिव, नागर विमानन को पोर्ट ब्लेयर से अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों का प्रारम्भ करने के लिए एयरलाइनों के साथ एक बैठक आयोजित करने और भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को हवाईअड्डा प्रभारों से छूट प्रदान करने के मामले पर विचार करने के लिए कहा गया।

6. उड़ान 3.0 के अंतर्गत उड़ानों को शीघ्र प्रारम्भ किया जाना:

नागर विमानन मंत्रालय द्वारा उड़ान-3 के अंतर्गत दिनांक 25.1.2019 को मैसर्स अंडमान एयरवेज को कार निकोबार, कैम्पबेल बे तथा शिबपुर में स्थित हवाईपट्टियों के साथ पोर्टब्लेयर से संपर्कता के लिए प्रचालन प्रारम्भ किए जाने की लक्षित तिथि जुलाई 2019 के निर्धारण के साथ मार्ग आबंटित किए गए हैं। तथापि, प्रचालक द्वारा आरसीएस कक्ष, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण से नई / अतिरिक्त अपेक्षाओं के लिए सम्पर्क किया गया है।

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यह सूचित किया गया कि मार्ग / नेटवर्क का अवार्ड प्राप्त करने के पश्चात चयनित एयरलाइन प्रचालक किन्हीं अतिरिक्त प्रोत्साहनों के लिए शर्तों की मांग नहीं कर सकते हैं। संयुक्त सचिव (यूपी) द्वारा आगे यह बताया गया कि प्रचालक द्वारा अपने प्रचालन नवंबर, 2019 तक प्रारम्भ करने की प्रतिबद्धता की गई है तथा इसे व्यवहार्य नहीं पाया गया तो उन्हें आबंटित किए गए मार्ग रद्द करके उड़ान - 4.0 में आगे आबंटन के लिए सूचीबद्ध कर लिए जाएंगे।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री द्वारा प्रचालक के सामर्थ्य/ क्षमता का त्वरित मूल्यांकन करने तथा इस मामले पर शीघ्र उचित कार्रवाई किए जाने के निदेश दिए गए।

7. उड़ान 3.1 के अंतर्गत सीप्लेन सेवाओं का शीघ्र प्रारम्भ तथा वाटर एयरोड्रमों का विकास :

मैसर्स स्पाइसजेट को दिनांक 8.3.2019 को उड़ान -3 के अंतर्गत सीप्लेन के साथ प्रचालनों से पोर्ट ब्लेयर के स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप एवं लांग आइसलैंड से सम्पर्कता के मार्ग आबंटित किए गए हैं। इन मार्गों पर सीप्लेन प्रचालन शीघ्र प्रारंभ किए जाने हैं। तथापि, यह सूचित किया गया कि पोर्ट ब्लेयर से हटबे मार्ग अभी आबंटित नहीं किए गए है जबकि इनके लिए प्रारंभिक प्रस्ताव प्राप्त हुए थे और वहां वाटर एयरोड्राम का विकास हो रहा है। पोर्टब्लेयर - हटबे का मार्ग शीघ्रातिशीघ्र प्रचालनात्मक बनाया जाना अत्यावश्यक है।

वाटर एयरोड्राम के विकास के संबंध में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चयनित 3 स्थलों, यथा लांग आइलैंड, शहीद द्वीप एवं हट बे पर भूमि उपलब्ध करवाए जाने की सहमति प्रशासन द्वारा दी जा चुकी है तथा यहां वाटरड्राम के विकास के कार्य भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा तीव्र गति से किए जाने अपेक्षित हैं। स्वराज द्वीप पर स्थित चौथे स्थल के संबंध में प्रशासन द्वारा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के परामर्श से वाटरड्राम के लिए उचित स्थल का निर्धारण किया जा रहा है।

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय द्वारा यह बताया गया कि वाटर एयरड्राम तथा सीप्लेन प्रचालन के विषय भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण एवं नागर विमानन मंत्रालय के लिए पूरी तरह से नए विषय हैं। मैसर्स स्पाइस जेट को पोर्ट ब्लेयर से स्वराज द्वीप, शहीद द्वीप एवं लांग आइलैंड से सम्पर्कता के लिए उड़ान-3 के अंतर्गत मार्ग आबंटित किए गए हैं। अवार्ड जारी किए जाने के पश्चात एयरलाइन अपनी ओर से योजना दस्तावेज को खारिज नहीं करती है। तथापि, नागर विमानन मंत्रालय इस मामले को उच्च प्राथमिकता प्रदान करके विचार करेगा तथा ऐसी आशा की जा सकती है कि एयरोड्रोम के कार्य नवम्बर, 2019 तक प्रारम्भ हो जाएंगे।

सदस्य (योजना), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा यह बताया गया कि देश में 10 भिन्न स्थलों पर 10 वाटर एयरड्रामों के विकास के लिए स्थल सर्वेक्षण, जियोटैक्नीकल, जांच, योजना, डिजायन, ड्राइंग, लागत अनुमान, निविदा दस्तावेज/एनआईटी तैयार करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा ईआईआर अध्ययन इत्यादि किए जाने सहित तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन पूरे करके उन्हें अंतिम रूप प्रदान कर दिया गया है और इन्हें नागर विमानन मंत्रालय को सैद्धांतिक अनुमोदन की प्राप्ति के लिए भिजवाया जा रहा है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री द्वारा ये निदेश दिए गए कि नागर विमानन मंत्रालय को इनका शीघ्र मूल्यांकन करके इस मामले पर उचित कार्रवाई करनी चाहिए। यह भी निर्णय लिया गया कि जब तक अनुसूचित यात्री प्रचालन (एससीओ) के अंर्तगत प्रचालनों के लिए वाटरड्राम तैयार किए जाते हैं तब तक एनएसओपी के अंतर्गत सीप्लेन प्रचालन प्रारम्भ किए जा सकते हैं। क्षेत्रीय सम्पर्कता योजना की अनुमोदन समिति द्वारा इसके संबंध में अगली आवश्यक कार्रवाई की जानी है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टिप्पणियां (योजना निदेशालय):

भारत में 10 स्थलों पर वाटर एयरड्रामों के प्रस्तावित विकास के लिए स्थल सर्वेक्षण, जियोटैक्नीकल जांच, योजना, डिजायन, ड्राइंग, लागत अनुमान, निविदा दस्तावेज/एनआईटी तैयार करने, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तैयार करने तथा ईआईए 1अध्ययन इत्यादि किए जाने सहित तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन के लिए परामर्शदाता की नियुक्ति किए जाने का कार्य अवार्ड कर दिया गया है। प्रस्तावित वाटरड्राम्स का विकास निम्नलिखित स्थलों पर किया जाना है:-

चरण**- I:**

1. गुवाहाटी रिवर फ्रंट (असम)
2. उमरांगसो रिजर्वेयर (असम)
3. साबरमती रिवर फ्रंट (गुजरात)
4. शत्रुंजय बांध (गुजरात)
5. एकता स्तम्भ (गुजरात)
6. नागार्जुन सागर (तेलंगाणा)

चरण**-II:**

7. स्वराज द्वीप (अंडमान एवं निकोबार)
8. शहीद द्वीप
9. लांग द्वीप (अंडमान एवं निकोबार)
10. हटबे द्वीप (अंडमान एवं निकोबार) को बदल कर प्रकाशम बैराज (आंध्र प्रदेश किया जा रहा है)

राज्य सरकारों ने नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि :

क. अंतरिम उपाय के रूप में हेलीकॉप्टर और सीप्लेन हेतु कम से कम एनएसओपी प्रचालन आरंभ किए जाएं।

ख. पीएचएल के सहयोग से हेलीपोर्ट्स का तेजी से विकास करना।

ग. सुरक्षा और अग्निशमन उपकरण केन्द्रीय स्तर पर खरीदे जाएं और राज्यों संघ राज्य क्षेत्रों को उपलब्ध कराए जाएं क्योंकि राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को इन विषयों की कोई विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है।

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को काम में तेजी लाने और अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के वॉटरड्रोम परियोजनाओं को प्राथमिकता प्रदान करने की सलाह दी है।

8. एयरलाइंस द्वारा समय सारणी का पालन न करना:

एयरलाइनों से नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) द्वारा स्वीकृत अनुसूची (शीत और ग्रीष्म अनुसूची) के अनुसार गंतव्य के लिए निर्धारित उड़ानें प्रचालित करने हेतु अपेक्षा की जाती है। तथापि, अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के मामले में, यह देखा गया है कि एयरलाइनें अनुमोदित अनुसूची पर दृढ़ नहीं रहता हैं और उन्होंने प्रचालन बंद कर देते हैं। वर्तमान में पोर्ट ब्लेयर सेक्टर पर बंद की गई उड़ानों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र.सं	**एयरलाइनों के नाम**	**निलंबित मार्ग**	**तिथि**
1	गो एयर	अहमदाबाद - बैंगलोर - पोर्ट ब्लेयर - बैंगलोर - अहमदाबाद	14/06/2019
2	इंडीगो	बैंगलोर - पोर्ट ब्लेयर - बैंगलोर	01/06/2019
		कोलकाता-पोर्ट ब्लेयर-कोलकाता	01/06/2019
		हैदराबाद-पोर्ट ब्लेयर - हैदराबाद	01/07/2019
3	विस्तारा	चैन्नई - पोर्ट ब्लेयर - चैन्नई	16/06/2019

अनुसूचित उड़ानों को इस प्रकार से बंद करने से मेन-लैंड के प्रमुख शहरों के साथ पोर्ट ब्लेयर की सम्पर्कता पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे द्वीपवासियों को भारी असुविधा होती है और यह द्वीपों की पर्यटन अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है।

नागर विमानन राज्य मंत्री महोदय ने नागर विमानन महानिदेशालय को एयरलाइनों को आवश्यक निर्देश जारी करने की सलाह दी ताकि सुनिश्चित किया जा सके कि आवंटित अनुसूची और निर्बाध उड़ान सेवाओं का कड़ाई से पालन किया जा रहा है।

9. व्यस्ततम मौसम के दौरान अत्यधिक विमान किराए:

अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह प्रशासन के प्रतिनिधि ने कहा कि मेन-लैंड की यात्रा के लिए हवाई संपर्क एकमात्र साधन है। हर वर्ष, अक्टूबर से अप्रैल तक व्यस्ततम मौसम (पीक सीज़न) के दौरान, एअर इंडिया सहित विभिन्न एयरलाइनों ने पोर्ट ब्लेयर से चेन्नई/कोलकाता के बीच एक तरु तरफ की यात्रा के लिए इकोनॉमी श्रेणी में यात्रियों से 15000/- रूपए से 25000/- रूपए तक का हवाई किराया वसूल किया। इस व्यस्ततम मौसम में उच्च विमान किरायों के कारण उन द्वीपवासियों में भारी नाराजगी है, जिनके पास विभिन्न चिकित्सा और सामाजिक आवश्यकताओं के लिए मेन-लैंड का दौरा करने के लिए अतिरिक्त हवाई किराए का भुगतान करने के अतिरिक्त कोई अन्य विकल्प नहीं है। मेन-लैंड और द्वीप क्षेत्र में विमान किराया के लिए एक ऊपरी सीमा निर्धारित करके इन मेन लैंड - द्वीप सेक्टर में किरायों को युक्तिसंगत बनाने की तत्काल आवश्यकता है।

****

अरुणाचल प्रदेश:

1. पासीघाट के लिए आरसीएस उड़ानों का प्रचालन:

पासीघाट हवाईअड्डे को श्रेणी 4 से श्रेणी 5 में अपग्रेड किया गया है और एलायंस एयर एटीआर - 72 प्रचालन द्वारा कोलकाता, गुवाहाटी / लिलाबारी के साथ पासीघाट को नियमित रूप से सम्पर्कता उपलब्ध करा रही है। पासीघाट को आरसीएस (फिक्स्ड विंग) के तहत चुना भी गया है, किन्तु यहां प्रचालन अभी आरंभ नहीं हुआ है। यह अनुरोध है कि प्रचालकों से इस प्रचालन को यथाशीघ्र आरंभ करने के लिए कहा जाए।

संयुक्त सचिव (यसूपी), नागर विमानन मंत्रालसय ने कहा कि पासीघाट कोलकाता के साथ सुव्यवस्थित रूप से जुड़ा हुआ है और वहाँ नियमित उड़ानें प्रचालित की जा रही हैं। आरसीएस-उड़ान के तहत प्रदान किए गए मार्गों/नेटवर्क पर आरसीएस प्रचालनों को यथाशीघ्र आरंभ करने के लिए आरसीएस प्रकोष्ठ एसएओ के साथ चर्चा कर सकता है।

2. अवसंरचना विकास के लिए निधियां:

चयनित आरसीएस हेलीपोर्ट्स में अवसंरचनात्मक विकास के लिए, नियुक्त सलाहकार, पवन हंस लिमिटेड ने 23,24,95,008 रुपए की राशि के लिए आवश्यक अवसंरचना विकास और विनियामक प्राधिकारियों से लाइसेंस प्राप्त करने के लिए डीपीआर प्रस्तुत की है। केन्द्रीय सरकार चयनित आरसीएस हेलीपोर्टों पर अवसंरचना विकास के लिए आवश्यक धनराशि को अग्रिम रूप में उपलब्ध कराने पर विचार कर सकते हैं, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश जैसे कम राजस्व वाले राज्य के लिए अपने स्वयं के संसाधनों से अवसंरचना विकास कार्य पूरा करना कठिन है।

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानान मंत्रालय ने उल्लेख किया कि मैसर्स पीएचएल को सलाहकार के रूप में नियुक्त किया गया था। हालाँकि, निर्णय लेना पड़ेगा कि क्या विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) को तैयारी के लिए सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम मैसर्स राइट्स लिमिटेड की सेवाएं ली जाएं, जिसे चार चरणों में की जाएगी। कुछ हेलीपोर्टों के लिए डीपीआर पहले ही तैयार किए जा चुके हैं और शेष हेलीपोर्टों के लिए यथासंभव कम समय में कार्य के पूरा होने की आशा है।

राज्य सरकारों ने नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि :

क. अंतरिम उपाय के रूप में हेलीकॉप्टर और सीप्लेन हेतु कम से कम एनएसओपी प्रचालन आरंभ किए जाएं।

ख. पीएचएल के सहयोग से हेलीपोर्ट्स का तेजी से विकास करना।

ग. सुरक्षा और अग्निशमन उपकरण केन्द्रीय स्तर पर खरीदे जाएं और राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को उपलब्ध कराए जाएं क्योंकि राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को इन विषयों की कोई विशेषज्ञता प्राप्त नहीं है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सचिव, नागर विमानन मंत्रालय को निदेश दिए है कि राज्यो/ संघ राज्य क्षेत्रों को सहयोग प्रदान करने के लिए भाविप्रा, बीसीएएस और डीजीसीए के अधिकारियों के साथ इस मुद्दे पर चर्चा करें और राज्य सरकारों / संघ राज्य क्षेत्रों के लिए एक टीम भेजें।

3. तेजू के लिए आरसीएस उड़ानों का प्रचालन:

तेजू हवाईअड्डा प्रचालन के लिए तैयार है। नई टर्मिनल भवन के पूरा होने तक यात्री सुविधा के लिए पुनर्निर्मित पुरानी टर्मिनल भवन का उपयोग किया जा सकता है और यथासंभव शीघ्र तेजू हवाईअड्डे से आरसीएस उड़ानें आरंभ की जा सकती हैं।
सदस्य (योजना), भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने कहा कि तेजू हवाईअड्डा पहले से लाइसेंस प्राप्त हवाईअड्डा है और नए टर्मिनल भवन के जल्द ही तैयार होने की संभावना है।

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानान मंत्रालय ने बताया कि दो एसएओ यथा , मैसर्स ट्रू जेट और मैसर्स ज़ूम एयर को पहले ही तेजू हवाईअड्डे से उड़ानें प्रचालन करने के लिए नेटवर्क प्रदान किया गया है। तथापि, कार्य प्रदान किए गए एक अन्य हवाईअड्डे, यथा रूपसी पर कार्य प्रगति पर है और इसके अक्टूबर/नवंबर, 2019 तक पूरा होने की संभावना है। तत्पश्चात, दिसंबर, 2019 के अंत तक संभवत: इस नेटवर्क पर उड़ानें शुरू हो जाएंगी। यदि उड़ानें आरंभ नहीं होती हैं तो तेजू और रूपसी को उड़ान-4.0 की बोली प्रक्रिया में शामिल किया जाएगा।

4. होलांगी हवाईअड्डे के लिए पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए भूमि:
होलांगी हवाईअड्डे के लिए पहुंच मार्ग के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण किया जाना बाकी है। पहुंच मार्ग को पुन:संरेखित करने और अधिग्रहण की प्रक्रिया आरंभ करने के लिए भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण और अरुणाचल प्रदेश सरकार द्वारा संयुक्त सर्वेक्षण के आयोजन हेतु राज्य सरकार ने भाविप्रा से अनुरोध किया था । इसलिए, यह अनुरोध किया जाता है कि भाविप्रा अधिकारियों को उक्त सर्वेक्षण के लिए तकनीकी दल की नियुक्ति के निर्देश दिया जाए। इसके अतिरिक्त होलांगी हवाईअड्डे के कार्य की अनुसूची की जांच करने के लिए पीएमसी का गठन किया जा सकता है।

सदस्य (योजना), भाविप्रा ने सूचित किया है कि होलांगी हवाईअड्डे के लिए सड़क के निर्माण हेतु भूमि राज्य सरकार द्वारा अधिग्रहित की जानी है और आशा है कि यह प्रक्रिया दिनांक 31 मार्च, 2020 तक पूरी हो जाएगी। राज्य सरकार द्वारा भूमि का अधिग्रहण किए जाने और भाविप्रा को इसे सौंपे जाने के पश्चात, अप्रैल 2022 तक कार्य के पूरा होने की संभावना है।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की टिप्पणियां (योजना निदेशालय):
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के दल ने दिनांक 17/18 जुलाई 2019 को ईटानगर का दौरा किया और 18.07.2019 को उपायुक्त, यूयूपीआईए द्वारा एक बैठक आयोजित की गई, जिसमें नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के लिए विद्युत लाइनों, पानी की आपूर्ति और बिजली की आपूर्ति तथा पहुंच मार्ग के पुन:संरेखण के संबंध में चर्चा की गई थी और राज्य सरकार के परामर्श के साथ उपयुक्त

संरेखण को अंतिम रूप दिया गया। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकार द्वारा भूमि अधिग्रहण और सड़क के निर्माण का कार्य किए जाने की आवश्यकता है।

होलांगी में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण कार्य के संबंध में, ईपीसी संविदा के रूप में परियोजना के निष्पादन के लिए एजेंसी को नियुक्ति करने की प्रक्रिया प्रगति पर है। कार्य प्रदान किए जाने की संभावित तिथि अक्टूबर, 2019 है और इस परियोजना के अप्रैल, 2022 तक पूरी होने की संभावना है।

5. डिब्रूगढ के रास्ते हेलीकाप्टर सेवा सेवा आरंभ नहीं की गई है:

डिब्रूगढ़ के रास्ते हेलीकॉप्टर सेवा आरंभ नहीं की जा सकी है, क्योंकि राज्य सरकार भुगतान आधार पर बैगेज स्क्रीनिंग और एसएलपीसी सुविधाओं के उपयोग के लिए संविदा पर हस्ताक्षर किए जाने के संबंध में एअर इंडिया लिमिटेड से प्रतिक्रिया की प्रतीक्षा कर रहा है। एअर इंडिया लिमिटेड को निदेश दिए जाएं कि वह अंतिम संविदा करार पर हस्ताक्षर करे, जो उन्हें पूर्व में प्रस्तुत किया गया था ताकि यथाशीघ्र डिब्रूगढ़ हवाईअड्डे से हेलीकाप्टर प्रचालन आरंभ किया जा सके। राज्य सरकार ने भी नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया है कि भूटान और तवांग के बीच हेलीकाप्टर सेवा की संभावनाओं का पता लगाए।

सदस्य (योजना), एएआई ने सूचित किया कि राज्य सरकार से आवश्यक इनपुट प्राप्त करने के पश्चात भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण का एक टीम तवांग में सर्वेक्षण कार्य करने के लिए तैनात किया जाएगा।

सचिव, नागर विमानन ने नागर विमानन मंत्रालय को कहा है कि वह जन-जन के बीच सम्पर्कता और पर्यटन के संवर्धन के लिए भूटान और तवांग के बीच हेलीकॉप्टर सेवा की संभावना का पता लगाने।

एएआई की टिप्पणियां (योजना निदेशालय)

एएआई के दल द्वारा सितम्बर, 2019 के दूसरे/तीसरे सप्ताह में व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन के लिए तवांग क्षेत्र का दौरा किए जाने की आशा है, राज्य सरकार की ओर से पुष्टि की प्रतीक्षा है।

असम:

(क) एलजीबीआई हवाईअड्डा, गुवाहाटी:

समानांतर टैक्सी ट्रैक (पीटीटी) के लिए 22.56 एकड़ भूमि के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र - एएआई द्वारा वायु सेना मुख्यालय के साथ मामला उठाया जाना है।

सदस्य (योजना), एएआई ने सूचित किया कि एलजीबीआई हवाईअड्डा, गुवाहाटी पर समानांतर टैक्सी ट्रैक का निर्माण करने के लिए अनापत्ति प्रमाणपत्र के लिए वह निरंतर वायु सेना मुख्यालय के संपर्क में हैं।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने इस मुद्दे पर एक ब्रीफिंग की इच्छा व्यक्त की ताकि वह वायु सेना प्रमुख, वायु सेना मुख्यालय, वायु भवन, नई दिल्ली से वार्ता कर सकें।

एएआई की टिप्पणियां (योजना निदेशालय):

पृष्ठभूमि:

यात्रियों और हवाई यातायात में स्थिर वृद्धि की वजह से, एएआई ने एलजीबीआई हवाईअड्डा, गुवाहाटी में प्रमुख अवसंरचना विकास कार्य हाथ में लिए हैं, जिनमें नए एकीकृत टर्मिनल भवन का निर्माण, नए एप्रन का विस्तार, नए टकनीकी ब्लॉक कम एटीसी टॉवर आदि का निर्माण शामिल हैं।

वर्तमान में, दो पृथक एप्रन चालू हैं, जिन्हें एक एकल रनवे द्वारा सेवित किया जा रहा है, जिसके परिणामस्वरूप रनवे अधिभोग समय में वृद्धि हो जाती है। इस दिक्कत की वजह से इसकी पूर्ण प्रचालनिक क्षमता सीमित हो रही है। रनवे क्षमता को अधिकतम करने के लिए, पीटीटी की तात्कालिक आवश्यकता है। एएआई आईसोलेशन बे और पीटीटी के निर्माण के कार्य के साथ-साथ संबद्ध अवसंरचना कार्य एवार्ड करने की प्रक्रिया है।

गुवाहाटी हवाईअड्डे पर पीटीटी में पेवमैंट संबंधी कार्य और संबद्ध अवसंरचना कार्य हाथ में लेने के लिए एएआई को भूमि और कार्य अनुमति के लिए मुद्दों के समाधान से संबंधित मामले पर भारतीय वायसेना के साथ अनेक बैठकों में चर्चा की गई थी ताकि गुवाहाटी हवाईअड्डे के लिए/से उड़ानों का सुचारु प्रचालन सुगम बनाया जा सके।

स्थिति:

एएआई ने दिनांक 09.02.2018 और 08.10.2018 के पत्र द्वारा कार्य अनुमति प्रदान किए जाने के लिए भारतीय वायुसेना से अनुरोध किया।

एएआई दिनांक 21.02.2019 के पत्र द्वारा रक्षा मंत्रालय से कार्यानुमति प्रदान किए जाने के लिए तकनीकी प्रस्ताव का अनुरोध किया। दिनांक 06.08.2019 को एक अनुस्मारक भी भेजा गया।

(ख) डिब्रूगढ़ हवाईअड्डा:

राज्य सरकार ने कहा कि जंगल टोली रोड के मार्ग परिवर्तन के लिए भारतीय सेना के कब्जे वाली भूमि पर कार्यानुमति/प्रवेशाधिकार अपेक्षित है। एएआई के प्रतिनिधि ने सूचित किया कि आईएएफ और राज्य सरकार के बीच चर्चा के अनुसरण में, आशा की जाती है कि भूमि अगले महीने तक सौंप दी जाएगी।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने राज्य सरकार से रक्षा मंत्रालय के साथ इस मामले पर कार्रवाई करने और इस संबंध में एक संक्षिप्त नोट भेजने का अनुरोध किया ताकि माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री रक्षा मंत्रालय के साथ वार्ता कर सकें।

(ग) वाटर एयरोड्रोम:

गुवाहाटी / उमरांगसो /काजीरंगा

सदस्य (योजना) ने सूचित किया कि सूचित किया कि एएआई, बीसीएएस और डीजीसीए के अधिकारियों का एक संयुक्त दल पहले ही स्थल निरीक्षण करके अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर चुका है।

राज्य सरकार ने नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया:

क. कम से कम अंतरिम आधार पर हेलीकॉटर ओर सीप्लेन के लिए एनएसओपी प्रचालन आरंभ करना।

ख. पीएचएल की सहायता से तीव्रतापूर्वक हेलीपोर्टों का विकास करना।

ग. सिक्योरिटी और फायर टेंडरों का अर्जन केंद्रीय तौर पर किया जाए और इन्हें राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को मुहैया कराया जाए क्योंकि राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के पास ऐसे मुद्दों पर कोई विशेषज्ञता नहीं है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सलाह दी कि परामर्शदाता को 23.08.2019 तक लेटर ऑफ एवार्ड जारी किया जाना चाहिए।

एएआई की टिप्पणियां (योजना निदेशालय)

निम्न के संबंध में तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन, जिसमें स्थल सर्वेक्षण, भू-तकनीकी अन्वेषण, प्लानिंग, डिजाइन, लागत प्राक्कलन, संविदा दस्तावेज/एनआईटी की तैयारी, विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) की तैयारी और ईआईए अध्ययन शामिल है, के लिए परमर्शदाता की नियुक्ति:

1. गुवाहाटी रिवर फ्रंट (असम)

2. उमरांगसो रिजरवॉयर (असम)

कार्य परामर्शदाता को एवार्ड किया जा चुका है। एएआई, बीसीएएस और डीजीसीए के संयुक्त दल की दिनांक 20 सितम्बर, 2019 के आस-पास वाटर एयरोड्रोम स्थल का दौरा किए जाने की योजना है।

(घ) ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा:

राज्य सरकार द्वारा सूचित किया गया कि जिलाधीश (डीसी), सिलचर ने सिलचर, असम में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के लिए केवल 800 एकड़ भूमि चिह्नित की है। तथापि, एएआई द्वारा सिलचर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए सर्वेक्षण किया जाना अपेक्षित है।

सदस्य (योजना), एएआई ने सूचित किया कि उन्होंने राज्य सरकार से लेआउट प्लान आदि मांगा है। लेआउट प्लान आदि प्राप्त होने पर, हवाईअड्डा निदेशक गुवाहाटी आवश्यक आंकड़े एकत्रित करके इन्हें सीएचक्यू, एएआई को भेजेंगे। आवश्यक आंकड़े प्राप्त होने के बाद, एएआई, बीसीएएस और डीजीसीए के अधिकारियों का दल 7 दिन के भीतर दौरा करेगा।

एएआई की टिप्पणियां (योजना निदेशालय)

असम राज्य सरकार ने सिलचर, असम में खोरील टी एस्टेट में एक भूखण्ड चिह्नित किया है और एएआई से प्रस्तावित स्थल पर नए ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे की स्थापना के लिए व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन करने का अनुरोध किया है। स्थल दौरे के लिए एएआई के बहु-विभागीय दल का गठन किया गया है और राज्य सरकार से अपेक्षित डेटा, जैसे विंड रोज, राजस्व मानचित्र, कोऑर्डिनेट्स, फोटोग्राफ, सुपर-इंपोज्ड राजस्व मानचित्र, जिसमें रेखागणितीय आंकड़े और कोऑर्डिनेट्स आदि विस्तारपूर्वक दिए गए हों, और इनके साथ-साथ व्यवहार्यता-पूर्व अध्ययन के लिए अध्ययन शुल्क का ब्यौरा शामिल है, मुहैया कराने का अनुरोध किया है। राज्य सरकार के प्रत्युत्तर की प्रतीक्षा है।

(ङ) उड़ान इंटरनेशलन:

राज्य सरकार ने शेष चार मार्गों यथा गुवाहाटी से क्वालालंपुर, यंगून, काठमांडू और हनोई के लिए बोली प्रक्रिया का अनुरोध किया है।

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया कि गुवाहाटी को क्वालालंपुर, यंगून, काठमांडू और हनोई से जोड़ने के लिए अंतरराष्ट्रीय **उड़ान** के लिए बोली प्रक्रिया पहले ही आरंभ हो चुकी है बोलियां प्राप्त करने की तारीख को और एक सप्ताह के लिए बढ़ाया जा चुका है ताकि अनेक एयरलाइनें अपनी बोलियां प्रस्तुत कर सकें।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने सूचित किया है कि गुवाहाटी को पहले ही ढाका के साथ संपर्कता मुहैया कराई जा चुकी है और मैसर्स स्पाइस जेट एयरलाइंस द्वारा गुवाहाटी से बैंकॉक के लिए उड़ानें बहुत जल्दी आरंभ की जाएंगी।

दमन और दिव:

1. उड़ान 3.1 के अंतर्गत अनुमोदित मार्गों का प्रचालनीकरण:

उड़ान 3.1 के अंतर्गत मंत्रालय द्वारा (i) दमन - अहमदाबाद - दमन (ii) दिव - सूरत - दिव और (iii) दमन - दिव - दमन के बीच प्रचालन के लिए मैसर्स हैरीटेज एविएशन का चयन किया गया। तथापि, प्रचालक से संपर्क करने के अनेक प्रयासों के बावजूद, प्रचालक ने प्रत्युत्तर नहीं दिया।

आरसीएस प्रकोष्ठ, एएआई से दमन हवाईअड्डे की स्थिति की जांच करने और हवाईअड्डे को प्रचालनों के लिए तैयार करने के लिए त्वरित कदम उठाने का अनुरोध किया गया।

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया कि मैसर्स हैरीटेज एविएशन की उपरोल्लिखित मार्गों पर अपने प्रचालन आरंभ करने की योजना है। तथापि, यदि प्रचालनक उड़ानें आरंभ नहीं करता, तो नागर विमानन मंत्रालय उड़ान-4.0 के दौरान पुन:बोली प्रक्रिया के लिए इन मार्गों की पेशकश करने पर विचार करेगा।

2. यात्रियों के आरोहण और अवतरण के लिए कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन के पार्किंग बे का उपयोग

संघ प्रदेश प्रशासन ने दमन कोस्ट गार्ड एयर स्टेशन पर सिविल टर्मिनल के निर्माण के लिए कार्रवाई आरंभ की है, जिसके लिए भूमि अधिग्रहण पहले ही किया जा चुका है। डीपीआर और विस्तृत प्राक्कलनों को अंतिम रूप दिया जा चुका है और तकनीकी संस्वीकृति के लिए प्रस्तुत किया जा चुका है। निविदा एक पखवाड़े के भीतर जारी कर दी जाएगी। तथापि, सिविल टर्मिनल के निर्माण में कुछ समय लगेगा। संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन ने रक्षा मंत्रालय से आईसीजी रनवे और पार्किंग बे के प्रवेश की अनुमति प्रदान किए जाने का अनुरोध किया है ताकि सिविल टर्मिनल का निर्माण कार्य पूरा होने के समय तक भारतीय तट-रक्षक एयर स्टेशन, दमन से **उड़ान** के अंतर्गत सिविलियन विमानों का प्रचालननीकरण हो सके। नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया गया है कि इस मुद्दे को महानिदेशक, भारतीय तटरक्षक, रक्षा मंत्रालय के साथ उठाकर इस संबंध में सहायता करे।

सचिव, नागर विमानन मंत्रालय ने कहा कि नागर विमानन मंत्रालय रक्षा मंत्रालय के साथ इस मामले को उठाएगा।

(कार्रवाई: आरसीएस प्रकोष्ठ, एएआई और डीटी अनुभाग, नागर विमानन मंत्रालय)

3. **उड़ान के अंतर्गत अतिरिक्त मार्गों / क्षेत्रों को शामिल करना:**

दमन और दीव का संघशासित प्रशासन एक अतिरिक्त सेक्टर यथा: दीव - वडोदरा - दीव को जोड़ना चाहता है। इसलिए, **उड़ान** के अंतर्गत अतिरिक्त मार्गों के प्रस्ताव को शामिल किया जा सकता है।

संयुक्त सचिव **(यूपी),** नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि आरसीएस सेल**,** भाविप्रा और नागर विमानन मंत्रालय**,** उड़ान**-4.0** की बोली प्रक्रिया में दीव **-** वडोदरा -दीव के लिए अतिरिक्त मार्ग जोड़ने पर विचार करेंगे।

4. **दमन और दीव के लिए उड़ान के अंतर्गत हेलीकॉप्टर सेवाएँ**:

यहाँ पर बहुत से प्रसिद्ध गंतव्य यथा गुजरात में द्वारका मंदिर तथा गुजरात का राजकोट जिला हैं जो दीव जिले के पास हैं और उनको जोड़ने से पर्यटन को बहुत प्रोत्साहन मिलेगा। इसके अतिरिक्त, मुंबई भी दमन जिले के समीप स्थित है और इन दो गंतव्यों को जोड़ने से पर्यटन के साथ-साथ औद्योगिक क्षेत्र को भी प्रोत्साहन मिलेगा।अतः, नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध है कि आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत निम्नलिखित क्षेत्रों में हेलिकॉप्टर सेवाओं के प्रचालन की संभावना को बढ़ावा दें:

i. दीव - द्वारका
ii. दीव - राजकोट
iii. दमन - मुंबई

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि आरसीएस-उड़ान योजना दस्तावेज़ के अनुसार, उड़ान के अंतर्गत हेलीकाप्टर सेवाएँ मुख्यतः पहाड़ी इलाकों और द्वीप राज्यों के दुर्गम क्षेत्रों को सम्मिलित करने के लिए हैं। इसलिए, उपर्युक्त क्षेत्रों के लिए उड़ान के अंतर्गत हेलीकाप्टर सेवा प्रदान करने पर विचार नहीं किया जा सकता।

तथापि, मेसर्स पवन हंस लिमिटेड राज्य / संघशासित प्रदेश प्रशासन द्वारा किए गए अनुरोध के अनुसार व्यवहार्यता मॉडल तैयार कर सकता है। यदि दमन और दीव प्रशासन द्वारा किसी भी अतिरिक्त प्रोत्साहन की पेशकश की जाती है, तो एयरलाइनें इन मार्गों के लिए विमान संपर्कता प्रदान करने के लिए आगे आ सकती हैं।

****

मणिपुर:

1. आरसीएस - उड़ान-2:

नागर विमानन मंत्रालय ने मोरे - तामेंगलोंग - जिरीबाम - थान्लोन - परबंग के बीच हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने के लिए सेवा प्रदाता / परामर्शदाता के रूप में पवन हंस लिमिटेड (पीएचएल) का चयन किया है। तथापि, आज तक सेवा शुरू नहीं की गई है।

राज्य सरकार ने बताया कि राज्य लोक निर्माण विभाग द्वारा काम शुरू कर दिया है। वर्तमान में, मैसर्स ग्लोबल वेक्ट्रा गृह मंत्रालय के कार्यक्रम के अंतर्गत प्रचालन आरंभ करने वाली है।

राज्य सरकारों ने नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया:

क. एक अंतरिम उपाय के रूप में हेलीकॉप्टर और सीप्लेन के लिए कम से कम एनएसओपी प्रचालन शुरू करें।

ख. पवन हंस लिमिटेड की सहायता से हेलीपोर्ट्स का तेजी से विकास करना।

ग. सुरक्षा और फायर टेंडर केंद्र में खरीदे जाते हैं और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों को प्रदान किए जाते हैं क्योंकि राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के पास ऐसे मामलों की विशेषज्ञता नहीं है। सचिव, नागर विमानन ने हेलीकॉप्टर संपर्कता मुद्दे को उठाने का निर्देश दिया है और आरसीएस सेल, भाविप्रा को बिना देरी किए कार्रवाई शुरू करनी चाहिए।

2. प्रमुख बाधाएं:

प्रति हेलीपैड की परियोजना लागत लगभग 10-12 करोड़ है। राज्य सरकार को सिविल कार्यों को पूरा करना है और अग्निशमन / संचार / मेट्रोलॉजिकल उपकरणों आदि की खरीद करना है और एपीआर/ वाउचर जमा करने के बाद नागर विमानन मंत्रालय द्वारा धन की प्रतिपूर्ति की जाएगी। तथापि, वित्तीय संकट के कारण, राज्य सरकार उड़ान- 2 परियोजनाओं को आरंभ करने में सक्षम नहीं है। नागर विमानन मंत्रालय पूर्वोत्तर राज्यों के मामले में उड़ान - 2 उड़ानें शुरू करने के लिए अपेक्षित फंड जारी करने पर विचार कर सकता है।

सचिव, नागर विमानन ने कहा है कि काम पीडब्लूडी के माध्यम से राज्य सरकार द्वारा पूरा किया जाना आवश्यक है और उन्होंने राज्य सरकार को आश्वासन दिया कि वह भाविप्रा और नागर विमानन मंत्रालय के अधिकारियों के साथ परामर्श के बाद इस मामले पर विचार करेंगे।

3. आरसीएस - उड़ान-3 के अंतर्गत सिलचर - इम्फ़ाल की संपर्कता:

यह मणिपुर और निचले असम के हवाई संपर्कता के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि, कम से कम हर दूसरे दिन हवाई सेवा प्रदान की जा सकेगी।

सचिव, नागर विमानन ने राज्य सरकार को ईंधन पर वैट 5 प्रतिशत से कम करने की सलाह दी है ताकि इम्फाल को संपर्कता प्रदान करने के लिए एयरलाइने आगे आएं।

सिलचर - इम्फाल मार्ग पर संपर्कता के संबंध में, संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने बताया कि उड़ान-4.0 बोली प्रक्रिया के दौरान, नागर विमानन मंत्रालय और आरसीएस सेल सिलचर - इम्फाल और इंफाल - डिब्रूगढ़ सेक्टर पर उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) / उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DONER) के परामर्श से संपर्कता प्रदान करना चाहते हैं। । संयुक्त सचिव (यूपी), नागर

विमानन मंत्रालय ने राज्य सरकार को सलाह दी है कि वे उत्तर पूर्वी परिषद (NEC) / उत्तर पूर्वी क्षेत्र विकास मंत्रालय (DONER) से अनुरोध करें कि वे एनईआर के लिए गुवाहाटी और कोलकाता या अन्तः क्षेत्रों को संपर्कता प्रदान करने के लिए 5-6 व्यवहार्य मार्गों का सुझाव दें, जो उड़ान-4.0 के दौरान बोली लगाने के लिए एयरलाइनों को दिए जा सकते हैं। इन मार्गों को उड़ान-4.0 के अंतर्गत प्राथमिकता के आधार पर माना जाना चाहिए।

****

मेघालय:

1. **बलजेक हवाईअड्डा**:

पश्चिमी गारो पहाड़ियों, तूरा में बलजेक हवाईअड्डा हालाँकि 2008 में ही तैयार होने के पश्चात आरंभ कर दिया गया था, आज तक वह अप्रचालनी बना हुआ है। राज्य सरकार ने भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को सूचित किया है कि वे समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर करें ताकि हवाईअड्डे को प्रचालनिक बनाया जा सके।

सचिव, नागर विमानन ने राज्य सरकार से कहा है कि बलजेक हवाईअड्डा केवल 20 सीटों वाले विमानों के प्रचालन हेतु उपयुक्त है। यह बेहतर होगा कि हवाईअड्डे के विस्तार हेतु हवाईअड्डे का सर्वेक्षण किया जाए ताकि लगभग 80 सीटों वाले बड़े विमान वहाँ पर उतर सकें और फिर इस विषय में अंतिम निर्णय लिया जाएगा।

भाविप्रा की टिप्पणियाँ (योजना निदेशालय):

तूरा हवाईअड्डे पर रनवे के विस्तार हेतु ओब्स्टेकल लिमिटिंग सर्फ़ेसेस (ओएलएस) सर्वेक्षण किया गया है और चार्ट तैयार करने तथा अवरोधों की पहचान, यदि कोई हो, के पश्चात रिपोर्ट तैयार की जा रही है। राज्य सरकार को तदनुसार सूचित कर दिया जाएगा।

हवाईअड्डे के विकास हेतु 56.5 एकड़ सर्व बाधा रहित अतिरिक्त भूमि भाविप्रा को सौंपा जाना अपेक्षित है।

2. **शिलांग (उमरोई) हवाईअड्डा**:

शिलांग (उमरोई) और दिल्ली के बीच में सीधी उड़ान का आरंभ।

राज्य सरकार द्वारा यह सूचित किया गया था कि उमरोई हवाईअड्डा, शिलांग और कोलकाता के बीच में 20 जुलाई,2019 से मैसर्स इंडिगो एयरलाइंस द्वारा उड़ानें आरंभ की गई हैं। तथापि, नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध है कि वे दिल्ली तक सीधी उड़ान प्रदान करें। उन्होने उत्तर पूर्वी क्षेत्र (NER) के भीतर क्षेत्र की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए अन्य संपर्कता प्रदान करने का भी अनुरोध किया है।

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि वे आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत बोली के 4 चरण में रद्द किए गए मार्गों के एयरलाइनों की बोली की संभाव्यता और उत्तर पूर्वी परिषद (एनईसी) द्वारा अनुशंसित मार्गों की जांच करेंगे

****

मिज़ोरम:

1. प्राथमिक रूप से क्षेत्रीय संपर्कता योजना के अंतर्गत उड़ानों की संख्या में वृद्धि करते हुए लेंगपुई हवाईअड्डे की हवाई संपर्कता में सुधार। दिल्ली-आइजवाल-दिल्ली और गुवाहाटी - आइजवाल - गुवाहाटी के बीच सेवा आरंभ की जा सकती है।

संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि आरसीएस-उड़ान के अंतर्गत लेंगपुई हवाईअड्डे पर अतिरिक्त हवाई संपर्कता प्रदान करने के लिए एयरलाइनों को आमंत्रित किया गया है। तथापि, चूँकि रनवे की लंबाई सीमित है और केवल 20 सीटों वाले विमानों के प्रचालन के लिए ही उपयुक्त है, एयरलाइनें आगे नहीं आई। यह बेहतर होगा कि राज्य सरकारें मौजूदा रनवे की लंबाई कम से कम 10000 फीट तक बढ़ाने पर विचार करे ताकि पर्याप्त हवाई संपर्कता प्रदान करने के लिए लेंगपुई हवाईअड्डे पर बड़े विमान उतर सकें।

इसके अतिरिक्त, संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने कहा है कि यदि एयरलाइनों को एटीफ पर वैट कम करने, लैंडिंग और पार्किंग प्रभार इत्यादि में कमी करके कुछ रियायतें प्रदान की जाए तो एयरलाइनें लेंगपुई हवाईअड्डे को बेहतर संपर्कता प्रदान करने के लिए आगे आ सकती हैं।

दिल्ली-आइजवाल-दिल्ली और गुवाहाटी - आइजवाल - गुवाहाटी क्षेत्रों के लिए अतिरिक्त उड़ानों के संबंध में संयुक्त सचिव (यूपी), नागर विमानन मंत्रालय ने सूचित किया है कि पहले आइजवाल हवाईअड्डा सेवित हवाईअड्डा था, न कि अल्पसेवित हवाईअड्डा। तदनुसार, आइजवाल हवाईअड्डे को आरसीएस हवाईअड्डों की सूची में शामिल नहीं किया जा सका। इसके पश्चात, चूँकि आइजवाल हवाईअड्डे के लिए उड़ानों की संख्या कम हो गई है, इसे आरसीएस श्रेणी में लाया जाएगा और आने वाले आरसीएस-उड़ान-4.0 की बोली प्रक्रिया में विचार किया जाएगा। गुवाहाटी से आइजवाल संपर्कता पर तुरंत विचार किया जा सकता है।

नागर विमानन राज्य मंत्री ने राज्य सरकार को एटीएफ़ पर वैट घटाने और एयरलाइनों को रियायतें/ प्रलोभन देने का सुझाव दिया है ताकि आइजवाल हवाईअड्डे के लिए अतिरिक्त उड़ानों पर विचार कर सकें।

नागर विमानन राज्य मंत्री ने राज्य सरकार को मिज़ोरम को संपर्कता प्रदान करने के लिए सभी एयरलाइनों की बैठक बुलाने का भी सुझाव दिया है।

2. उत्तर पूर्वी क्षेत्र में एअरइंडिया के प्रचालन क्षेत्रों में हवाई किराए में बड़ी असमानता।

पूर्वोत्तर के विभिन्न प्रचालन क्षेत्रों में एयर इंडिया के हवाई किरायों में असमानता के संबंध में मैसर्स एअर इंडिया के प्रतिनिधि द्वारा एनईआर के बीच एयरफेयर में, यह सूचित किया गया था कि एनईआर सेक्टर के लिए कैप एयरफेयर जैसा कि एअर इंडिया की वेबसाइट पर प्रदर्शित है 9000/- रुपये है तथा न्यूनतम विमान किराया 3000/- रुपये है। इसलिए, मांग और अग्रिम बुकिंग के आधार पर, 3000/- रुपये से 9000/- रुपये के बीच में विमान किराये में उतार-चढ़ाव होता है, जो कि पूरी दुनिया में एयरलाइन कंपनियों द्वारा अपनाई गई प्रथा के अनुसार बहुत ही उचित माना जाता है।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने राज्य सरकार को डीजीसीए के साथ-साथ सचिव, नागर विमानन / माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री कार्यालय को एक विशेष मार्ग पर हवाई यात्रा में किसी भी प्रकार की विषमता के मामले में लिखित शिकायत करने का परामर्श दिया है। **उड़ान / एनईआर** सब्सिडी योजना के अंतर्गत वरियता मार्गों को लेने के लिए एएआई को निदेशित किया गया था ताकि क्षेत्र की आवश्यकता को संबोधित किया जा सके।

राज्य सरकारों ने नागर विमानन मंत्रालय से अनुरोध किया है:

क. हेलीकॉप्टर और सीप्लेन के लिए एक अंतरिम उपाय के रूप में कम से कम एनएसओपी प्रचालन आरंभ करें।

ख. पीएचएल की सहायता से हेलीपोर्ट्स का तेजी से विकास करना।

ग. सुरक्षा और फायर टेंडर की खरीद केंद्र द्वारा की जानी चाहिए और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को उपलब्ध चाहिए क्योंकि उनके पास ऐसे मुद्दों पर कोई विशेषज्ञता नहीं है।

****

नागालैंड:

1. कोहिमा - सेथु हवाईअड्डे पर ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे का निर्माण।

नागालैंड के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि कोहिमा में सेथु हवाईअड्डे पर ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे को विकसित किया जाएगा क्योंकि राज्य सरकार ने हवाई अड्डे की परियोजना के लिए जमीन खरीदी है। आवश्यकता होने पर, राज्य सरकार हवाईअड्डे के विकास के लिए अतिरिक्त भूमि खरीदने के लिए तैयार है। तथापि, सेथु हवाईअड्डे के विकास की लागत लगभग 6000 / - करोड़ रु. है। लेकिन, राज्य सरकार को इस लागत को वहन करने के लिए वित्तीय बाधाएं हैं। इसलिए नागर विमानन मंत्रालय या केंद्र सरकार को इसके लिए वित्तीय सहायता प्रदान करनी चाहिए।

माननीय नागर विमानन राज्य मंत्री ने परामर्श दिया है कि राज्य सरकार को इस संबंध में विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करनी चाहिए और अपने स्तर पर मामले की जांच करनी चाहिए। तत्पश्चात, राज्य सरकार को मोका को प्रस्ताव भेजना चाहिए, जिसकी जांच हो सकती है और एक अवधारणा पत्र तैयार किया जाना चाहिए और 7 दिनों के भीतर सभी संबंधितों को परिपत्रित कर दिया जाना चाहिए। तत्पश्चात, कैबिनेट नोट तैयार किया जाएगा और मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन के लिए रखा जाएगा क्योंकि इसमें राशि बहुत अधिक है।

2.

क. क्षेत्रीय हवाई संपर्कता को बढ़ावा देने के लिए छोटे विमानों के प्रचालनके लिए हवाईपट्टी का विकास।

ख. आपदा प्रबंधन के लिए हेलीकाप्टर सेवा प्रदान करने के लिए सभी जिला मुख्यालयों में हेलीपैड।

ग. हेलीकॉप्टर सेवा के लिए दीमापुर में हेलीपोर्ट।

घ. तेजी से आर्थिक विकास, माल परिवहन, पर्यटन आदि की सुविधा के लिए हवाई संपर्क में सुधार।

ड॰. दीमापुर से दिल्ली के लिए सीधी हवाई सेवा क्योंकि कोलकाता में पड़ाव अपर्याप्त है।

नागालैंड के माननीय मुख्यमंत्री ने कहा कि नगालैंड में सूर्यास्त और सूर्योदय काफी जल्दी होता है। इसलिए, आपदा प्रबंधन आदि के लिए हेलीकाप्टर सेवा प्रदान करने के लिए प्रत्येक जिला मुख्यालय पर हेलीपैड विकसित किया जाना चाहिए।

संयुक्त सचिव (UP), ना.वि.मं. ने कहा कि उड़ान एक मांग चालित परियोजना है, जिसमें एयरलाइनों को हवाई सम्पर्कता के लिए यातायात वृद्धि क्षमता के आधार पर किसी विशेष मार्ग के लिए बोली लगाने की आवश्यकता होती है। तथापि, नागर विमानन मंत्रालय एयरलाइंस को आगे आने और राज्य सरकार को बेहतर समपर्कता प्रदान करने का आग्रह कर सकता है। आगामी उड़ान-4.0 बोली प्रक्रिया के दौरान, आरसीएस सेल और ना.वि.मं. में दीमापुर - गुवाहाटी - दीमापुर, दीमापुर डिब्रूगढ़ दीमापुर और दीमापुर - इंफाल - दीमापुर मार्ग सम्मिलित होंगे।

लक्षद्वीप प्रशासन:

लक्षद्वीप के प्रतिनिधि वीसी बैठक में शामिल नहीं हो सके। तथापि, केन्द्रीय शासित प्रशासन ने विचार के लिए निम्नलिखित सुझाव ना.वि.मं. को भेजे हैं:

क. एक अंतरिम उपाय के रूप में हेलीकॉप्टर और सीप्लेन के लिए कम से कम एनेसओपी प्रचालन आरंभ करें।

ख. पीएचएल की सहायता से हेलीपोर्ट्स का तेजी से विकास करना।

ग. सुरक्षा और फायर टेंडर की खरीद केंद्र द्वारा की जानी चाहिए और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों को उपलब्ध करवानी चाहिए क्योंकि उनके पास ऐसे मुद्दों पर कोई विशेषज्ञता नहीं है।

बैठक चेयरमैन और सभी प्रतिभागियों को धन्यवाद के साथ संपन्न हुई।

****

19.08.2019 को 1530 बजे नागर विमानन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) नागर विमानन सहित राज्य सरकारों / संघ शासित प्रदेशों द्वारा आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में भाग लेने वाले सदस्य।

क्र.सं.	**नाम**	**पदनाम**	**संगठन**
1.	श्री हरदीप सिंह पुरी, अध्यक्ष	नागर विमानन राज्य मंत्री(आईसी)	नागर विमानन मंत्रालय (ना.वि.मं.)
2.	श्री नीपिहु रियो	मुख्यमंत्री	नागालैंड सरकार
3.	श्री ज़ोरमथांगा	मुख्यमंत्री	मिजोरम सरकार
4.	श्री सी लालरामजौवा	मिजोरम के मुख्यमंत्री के सलाहकार	मिजोरम सरकार
5.	श्री पी एस खारोला	सचिव	ना.वि.मं.
6.	श्री ललनमुमाविया चुआंगो	मुख्य सचिव	मिजोरम सरकार
7.	एडमिरल डीके जोशी , पीवीएसएम, एवीएसएम, वाईएसएम, एनएम, वीएसएम (सेवानिवृत्त I) ,	उपराज्यपाल	अंडमान निकोबार प्रशासन
8.	श्री चेतन बी संघी	मुख्य सचिव	अंडमान निकोबार प्रशासन
9.	श्रीमती उषा पाढी	संयुक्त सचिव	ना.वि.मं.
		सी एमडी	मेसर्स पवन हंस लिमिटेड
10.	श्री अनुज अग्रवाल	अध्यक्ष और सदस्य (एचआर)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
11.	श्री राजीव जैन	एडीजी (एम एंड सी)	ना.वि.मं.
12.	श्री डीसी शर्मा	उप महानिदेशक	डीजीसीए
13.	श्री मनोज कुमार गर्ग	उप निदेशक (प्रचालन)	डीजीसीए
14.	श्री ए एम तिवारी	उप महानिदेशक	बीसीएएस
15.	श्री ए के पाठक	सदस्य (योजना)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
16.	श्रीमती के एल शर्मा	निदेशक	ना.वि.मं.
17.	श्री अजय यादव	निदेशक और एचओएमएस (आईसी), नागर विमानन के निजी सचिव	ना.वि.मं.

क्र.सं.	नाम	पदनाम	संगठन
18.	श्री यू के भारद्वाज	अवर सचिव	ना.वि.मं.
19.	श्रीमती पुनीता एस	उप निदेशक (एम एंड सी)	ना.वि.मं.
20.	श्री एस एन द्विवेदी	आरसीएस सलाहकार	ना.वि.मं.
21.	कैप्टन राज के मल्लिक	ईडी , आरसीएस	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
22.	श्री प्रदीप कुमार	जीएम (आरसीएस सेल)	भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण
23.	श्री रामबाबू चौधरी	महाप्रबंधक	एअर इंडिया
24.	श्री भूपेश पिल्लई	अनुभाग अधिकारी	मोका
25.	श्री अविनव तिवारी	सहायक अनुभाग अधिकारी	मोका
26.	श्री एम एस बूरा	जीएम और सीएमडी के ओएसडी	मेसर्स पवन हंस लिमिटेड
27.	श्री वनराज डोडिया	जीएम (बीडी और मार्केटिंग)	मेसर्स पवन हंस लिमिटेड